



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259738
CG-DL-E-31122024-259738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946

No. 352]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2024
मामला सं. सीवीडी (ओआई) 03/2024

विषय: वियतनाम से कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 06/39/2024-डीजीटीआर- कंपाउंड्स एंड मास्टरबैच मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे आगे संयुक्त रूप से “सीएमएमआई” भी कहा गया है) और मास्टरबैच मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे संयुक्त रूप से “एमएमए” भी कहा गया है) (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से “आवेदक” अथवा “याचककर्ता” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे

“नियमावली” या “सीवीडी नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें वियतनाम (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों के संबंधित एक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का लंबी अवधि से भारी मात्रा में सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर भारत में आयात किया जा रहा है जिससे उसे वास्तविक क्षति हो रही है और वास्तविक क्षति का खतरा है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच” है जिसे “फिलर मास्टरमैच” या “कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड के रूप में भी जाना जाता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ3) प्रमुख घटक है अर्थात्, मात्रा के अनुसार 50% से अधिक है।

4. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच, कैल्शियम कार्बोनेट (एक खनिज), आधार प्लास्टिक सामग्री जैसे पोलिप्रोपिलीन या पोलिएथिलीन और अन्य अभिवर्धकों का एक मिश्रण है। उक्त मिश्रण को यौगिक दानेदार रूप में कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के उत्पादन के लिए कतिपय तापमान पर निकाला जाता है। पीयूसी में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है और शेष सामग्री प्लास्टिक और अन्य अभिवर्धक हैं।

5. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच प्लास्टिक मदों की विशेषताएं बढ़ाने के लिए प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त एक विशेष सामग्री है, इसका मुख्य कार्य लागत कुशल और पर्यावरण अनुकूल फिलर बनना है जो विशिष्ट भौतिक और रासायनिक विशेषताएं प्रदान करता है।

6. अनेक उद्योग कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का प्रयोग करते हैं जैसे पैकेजिंग, निर्माण, ऑटोमोटिव और उपभोक्ता वस्तुएं। प्लास्टिक में मिलने पर कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच उसे अधिक मजबूत बना सकता है, जिसके टूटने की संभावना कम होती है, अपने आकार में बना रहता है और सिकुड़ने की संभावना कम रहती है।

7. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच सतह पर प्लास्टिक के अनुभव में भी परिवर्तन कर सकता है, उसकी ताप सहनशीलता और कार्य करने की सरलता में भी बदलाव कर सकता है। इसे प्रायः प्लास्टिक फिल्म, शीट, पाइप, आकार मदें और अन्य प्लास्टिक सामान के लिए प्रयोग किया जाता है।

8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 3824 99 00 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य है। प्रमुख आयातों को टैरिफ मद 38 24 99 00 के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. आवेदकों ने प्रस्ताव किया है कि वर्तमान जांच के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) पर विचार किया जाए, जैसा कि मामला सं. एडी(ओआई)-36/2024 में फाइल सं. 06/38/2024-डीजीटीआर की संख्या

वाले वियतनाम से कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के आयातों से संबंधित चल रही पाटनरोधी जांच में पहले ही अपनाया गया है। प्राधिकारी ने दिनांक 4 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना द्वारा ऊपर उल्लिखित पाटनरोधी जांच में पीसीएन पद्धति पर निर्णय लिया है। चूंकि पाटनरोधी जांच और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा समान है, इसलिए प्राधिकारी वर्तमान जांच में समान पीसीएन पद्धति को अपनाना उचित समझते हैं अर्थात् निम्नलिखित तीन श्रेणियों के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर:

मानदंड	पीसीएन कोड
75% सीएसीओ3 से कम	क
75-85% सीएसीओ3	ख
85% सीएसीओ3 से अधिक	ग

ख. समान वस्तु

10. आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश में उत्पादित और वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु को समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश वियतनाम है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

12. यह आवेदन सीएमएमएआई और एमएमए ने सदस्य कंपनियों की ओर से दायर किया है जो पीयूसी के घरेलू उत्पादक हैं। यह दावा किया गया है कि संबद्ध देश के संबद्ध वस्तु के अधिकांश भारतीय निर्माता लघु और असंगठित क्षेत्र के हैं। आवेदक ने बताया है कि उसकी सदस्य कंपनियां भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन के 90% से अधिक का उत्पादन करती हैं।

13. संबद्ध वस्तु के ऐसे बारह आवेदक घरेलू उत्पादक हैं जिन्होंने बिखरे हुए उद्योगों के लिए व्यापार संख्या 9/2021 के अनुबंध-1 में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। यह दावा किया गया है कि ये बारह आवेदक घरेलू उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 35% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर आवेदक का उत्पादन पीयूसी के कुल घरेलू उत्पादन का 25% से अधिक है।

14. इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि 21 स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाली कंपनियों के साथ बारह आवेदक घरेलू उत्पादक समर्थक के अपेक्षित आंकड़ों के साथ भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 55% से अधिक बनाते हैं।

15. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की मामूली मात्रा का आयात किया है। आवेदक घरेलू उत्पादक और स्पष्ट समर्थक कंपनियों में से कोई भी संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों से संबंधित नहीं है।
16. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी *प्रथमदृष्टया* नोट करते हैं कि आवेदक सीवीडी के नियमावली के नियम 6(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

ड. सब्सिडीकरण का आरोप

17. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को वियतनाम की सरकार तथा विभिन्न प्रदेशों और नगरपालिकाओं की सरकारों, जहां वे उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य सरकारी निकायों के विभिन्न स्तरों द्वारा प्रदत्त कार्यवाही योग्य सब्सिडियों का लाभ मिला है। आवेदकों ने सार्वजनिक डोमेन में यथा उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों तथा संगत सरकारी एजेंसियों और सरकारी निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है।

च. परामर्श

18. सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार वियतनाम की सरकार को 10 दिसंबर, 2024 को हुई एक पूर्व परामर्श बैठक में विचार-विमर्श का अवसर दिया गया था। वियतनाम सरकार से प्राप्त टिप्पणियों को रिकॉर्ड में लिया गया है और जांच की प्रक्रिया के दौरान उन पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा।

छ. सब्सिडी कार्यक्रम

19. आवेदकों द्वारा प्रदत्त *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों को संबद्ध देश में सरकार और/या अन्य सरकारी निकायों द्वारा प्रदत्त अनेक सब्सिडियों का लाभ मिला है।

कार्यक्रम -1 पर्याप्त से कम मूल्य ("एलटीएआर") पर चूना पत्थर की आपूर्ति

कार्यक्रम -2 वियतनाम के प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए मास्टर प्लान

कार्यक्रम -3 उद्यमों के लिए कारपोरेट आयकर से शुल्क

कार्यक्रम -4 कच्ची सामग्री के लिए प्रतिपूर्ति पर आयात शुल्क से छूट

कार्यक्रम -5 निवेशकों के लिए अधिमानी ऋण

कार्यक्रम -6 निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

कार्यक्रम -7 निर्यातकों के लिए अधिमानी ऋण

कार्यक्रम -8 निवेश ऋण उधार की ब्याज दर

कार्यक्रम -9 लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना में निवेश पर विदेशी निवेशकों को निवेश सहायता

कार्यक्रम -10 वियतनाम डवलेपमेंट बैंक से निर्यात ऋण

कार्यक्रम -11 वियतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटियां

कार्यक्रम -12 एलटीएआर पर विद्युत खपत के लिए प्राकृतिक गैस/बिजली/कोयल का प्रावधान

कार्यक्रम -13 पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि का सरकारी प्रावधान और भूमि और जल किराये से छूट या कटौती

20. यह आरोप लगाया गया है कि उक्त स्कीमें सब्सिडियां हैं क्योंकि उनमें वियतनाम सरकार या अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, और सरकारी निकायों से वित्तीय अंशदान शामिल हैं और इनसे लाभ मिलता है। उन्होंने निर्यात निष्पादन पर आधारित और/या कतिपय उद्यमों या उद्यम समूहों तक सीमित और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों के लिए भी आरोप लगाया है जो विशिष्ट और प्रतिसंतुलन योग्य हैं।

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जिन्हें जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा लिया गया और मौजूद पाया जाएगा।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने सब्सिडी प्राप्त आयातों की भारी मात्रा से समग्र रूप में और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से कथित सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग पर ऐसे आयातों के कीमत प्रभाव के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के भारी आयातों के कारण उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में उसका निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आवेदक ने आगे क्षति के खतरे का भी दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात के पर्याप्त *प्रथमदृष्ट्या* साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई और आगे वास्तविक क्षति का खतरा है।

झ. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से सांक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडीकरण, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित सब्सिडीकरण और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत *प्रथमदृष्ट्या* साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और सीवीडी नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित सब्सिडीकरण की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के निर्धारण के लिए और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

ञ. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024 (15 महीने) है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई की होगी। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि अधिकांश आवेदक और समर्थक एमएसएमई हैं। अतः, 12 महीने (जुलाई 2023 – जून 2024) की जांच अवधि पर विचार करने से लागत संबंधी आंकड़े तैयार करने में काफी व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी क्योंकि इसके लिए दो अलग वित्तीय वर्षों से सूचना निकालना अपेक्षित होगा। आवेदकों ने दावा किया है कि उनमें से अधिकांश कंपनियां सापेक्ष रूप से छोटी और सीमित संसाधनों वाली हैं।

ट. प्रक्रिया

24. वर्तमान जांच में सीवीडी नियमावली के नियम 7 के अन्तर्गत यथा-निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in; [adv11-dgtr@gov.in](mailto:<adv11-dgtr@gov.in); jd11-dgtr@gov.in और dir14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

26. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, सीवीडी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, सीवीडी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित ढंग और तरीके से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना तथा आगे की प्रक्रिया के लिए वे प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ड. समय सीमा

30. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा इस सूचना को भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in; [adv11-dgtr@gov.in](mailto:<adv11-dgtr@gov.in); jd11-dgtr@gov.in और dir14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी सीवीडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

32. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, वहां उसे सीवीडी नियमावली नियम 7(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, वहां ऐसे पक्षकार को सीवीडी नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

34. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश में उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और सीवीडी नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

38. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैराग्राफों के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से सात दिनों (7 दिनों) के भीतर अनुरोधों के गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

39. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

40. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या सीवीडी नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

41. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ईमेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

New Delhi the 27th December 2024

INITIATION NOTIFICATION

Case No. CVD(OI)- 03/2024

Subject: Initiation of Countervailing Duty investigation concerning imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch from Vietnam

1. **F. No.6/39/2024-DGTR** Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India (hereinafter collectively referred to as “CMMAI”) and Masterbatch Manufacturers Association (hereinafter collectively referred to as “MMA”) (hereinafter collectively referred to as “applicants” or “petitioners”) has filed an petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “CVD Rules”) for initiation of an countervailing duty investigation concerning imports of “Calcium Carbonate Filler Masterbatch” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”), originating in or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The applicants have alleged that the subject goods are being imported into India, originating in or exported from the subject country at subsidized prices in significant quantities for a prolonged period, causing material injury and threat of material injury to it and have requested for imposition of countervailing duty on the import of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is "Calcium Carbonate Filler Masterbatch" which is also known as "Filler Masterbatch" or "Calcium Carbonate Compound" wherein Calcium Carbonate (CaCO₃) is major constituent i.e., more than 50% by volume.

4. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a mix of calcium carbonate (a mineral), base plastic materials like polypropylene or polyethylene, and other additives. The said mixture is extruded at a certain temperature to produce the Calcium Carbonate Filler Masterbatch in compound granules form. The PUC majorly constitutes calcium carbonate, with the rest being plastics and other additives.
5. Calcium Carbonate Filler Masterbatch is a special material used in the plastic industry for enhancement of properties of plastic items. Its main job is to be a cost effective and eco-friendly filler imparting specific physical and chemical properties.
6. Many industries use Calcium Carbonate Filler Masterbatch, such as packaging, construction, automotive and consumer goods. When added to plastics, Calcium Carbonate Filler Masterbatch can make them stronger, less likely to break, better at keeping their shape, and less likely to shrink.
7. Calcium Carbonate Filler Masterbatch can also change how plastic feels on the surface, how it handles heat, and how easy it is to work with. It is often used to make plastic films, sheets, pipes, shaped items, and other plastic goods.
8. The product under consideration is classifiable under tariff item 3824 99 00 of the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Major imports are cleared under tariff item 3824 99 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present petition.
9. The applicants have proposed that the Product Control Numbers (PCNs) for the present investigation may be considered as already adopted in the ongoing anti-dumping investigation concerning imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch from Vietnam bearing file number F. No. 06/38/2024 – DGTR in Case No. AD(OI)-36/2024. The Authority has decided on the PCN Methodology in the above-mentioned anti-dumping investigation *vide* notification dated 4th December 2024. Since the scope of product under consideration in the anti-dumping investigation and present investigation is same, the Authority considers it appropriate to adopt the same PCN methodology in the present investigation, i.e., on the basis of calcium carbonate content with following three categories:

Criteria	PCN Code
Less than 75% CaCO ₃	A
75-85% CaCO ₃	B
More than 85% CaCO ₃	C

B. LIKE ARTICLE

10. The applicants have claimed that there are no known differences between the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Hence, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

11. The subject country in the present investigation is Vietnam.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. The application has been filed by CMMAI and MMA on behalf of the member companies that are domestic producers of PUC. It has been claimed that most of the Indian manufacturers of the subject goods are small and in the unorganized sector. The applicant has stated that its member companies constitute more than 90% of the total production of product under consideration in India.
13. There are twelve applicant domestic producers of subject goods who have filed the required information in Annexure-I to Trade Notice 9/2021 for fragmented industries. It has been claimed that these twelve applicant domestic producers comprise more than 35% of the total domestic production of subject goods in India. On the basis of the information available, the applicant's production constitutes more than 25% of the total domestic production of PUC.
14. Further, it has been claimed that the twelve applicant domestic producers along with the twenty-one expressly supporting companies who have provided the required data in supporters' format constitute more than 55% of the total domestic production of subject goods in India.
15. The domestic industry has imported miniscule quantities of subject goods from subject country. None of the applicant domestic producers and expressly supporting companies are related to producers/exporters of subject goods in subject country.
16. On the basis of the information available, the Authority notes *prima facie* the applicants constitute "domestic industry" under within the meaning of Rule 2(b) read with Rule 6(3) of the CVD Rules.

E. ALLEGATION OF SUBSIDIZATION

17. The applicants have alleged that the producers/ exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided by various levels in the Government of Vietnam, including the Governments of the different provinces and municipalities in which the producers/ exporters are located, and other 'Public Bodies'. The applicants have relied upon relevant Laws, Rules and Regulations and other notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain.

F. CONSULTATION

18. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), the opportunity for consultation was given to the Government of Vietnam by scheduling a pre consultation meeting on 10th December 2024. The comments received from the Vietnamese government have been taken on record and the same will be duly taken into consideration during the course of the investigation

G. SUBSIDY PROGRAMS

19. The *prima facie* evidence provided by the applicants shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidies granted by the Government and/ or other public bodies in the subject country.

Program - 1 Supply of limestone at Less Than Adequate Remuneration (“LTAR”)

Program - 2 Master Plan for Development of Vietnam’s Plastic Industry

Program - 3 Exemption on corporate income tax for enterprises

Program - 4 Import duty exemption on reimbursement for raw material

Program - 5 Preferential lending for investors

Program - 6 Export Promotion Program

Program - 7 Preferential lending to the exporters

Program - 8 Interest rate of investment credit loans

Program - 9 On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises

Program - 10 Export credits from the Vietnam Development Bank

Program - 11 Financial Guarantees by Vietin Bank

Program - 12 Provision for Natural gas /electricity/coal for power consumption to LTAR

Program - 13 Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents

20. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of Vietnam or other regional or local governments, including public bodies and confer benefits to the recipients. They also alleged to be contingent upon export performance and/ or limited to certain enterprises or groups of enterprises and/ or products and/ or regions, therefore, are specific and countervailable.
21. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

22. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury as a result of the alleged subsidization in the form of significant volume of subsidized imports in absolute as well as in relative terms in comparison to the production and consumption in India and price effect of such imports on the domestic industry. The applicants have claimed that its performance has been adversely impacted in respect of production, sales, capacity utilisation, market share, profits, cash profits and return on capital employed due to the significant imports of the product under consideration from the subject country. The applicant has also claimed a further threat of material injury. The Authority notes that there is

sufficient *prima facie* evidence that the domestic industry has suffered material injury and a further threat of material injury due to the alleged subsidized imports from the subject country.

I. INITIATION OF COUNTERVAILING DUTY INVESTIGATION

23. On the basis of the duly substantiated written application filed by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about the subsidization of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidization and injury, and in accordance with section 9 of the Act read with Rule 6 of the CVD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidization in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. PERIOD OF INVESTIGATION

The period of investigation for the present investigation is from 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury investigation period will be 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023 and the POI. Petitioner has further stated that most of the applicants and supporters are MSMEs. Therefore, the consideration of 12 months (July 2023 – June 2024) as period of investigation would result in significant practical difficulties for preparation of the costing data, as it would require culling information for two separate financial years. The applicants have claimed that majority of them are relatively small companies having limited resources.

K. PROCEDURE

24. The principles as stipulated under Rule 7 of the CVD Rules shall be followed in the present investigation.

L. SUBMISSION OF INFORMATION

25. All communication should be sent to the Authority via email at email addresses adg16-dgtr@gov.in; adv11-dgtr@gov.in; jd11-dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
26. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the CVD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.
27. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the CVD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority within the time-limit mentioned in this initiation notification.

28. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
29. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation as well as further processes related to the investigation.

M. TIME LIMIT

30. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in; adv11-dgtr@gov.in; jd11-dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in within thirty days from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per of Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the CVD Rules.
31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within 30 days from the date of publication of Initiation notification.
32. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

N. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8(2) of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
34. The submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of

Rule 8 of the CVD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed in the submissions, within seven days (7 days) from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraph of this initiation notification.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement in terms of Rule 8 of the CVD Rules and appropriate trade notices on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
41. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. INSPECTION OF PUBLIC FILE

42. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

P. NON-COOPERATION

43. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority